279

[2020] 12 एस. सी. आर 279

ए.

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। (2020 की सिविल अपील संख्या 3630) 05 नवंबर, 2020

बी.

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-सिविल प्रक्रिया संहिता -एस। 20-कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948-पारिवारिक कोयला खान पेंशन योजना, 1998-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार-सरकार ने एक पारिवारिक कोयला खान पेंशन योजना, 1998 दिनांक को अधिसूचित किया-इससे पहले, अपीलार्थी के दिवंगत पति ने उक्त पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था-हालाँकि, बाद में अपीलार्थी के पति ने दिनांकित अधिसूचना द्वारा पेंशन योजना का विकल्प चुना-अपीलार्थी के दिवंगत पति ने दरभंगा, बिहार राज्य से पेंशन के लिए भुगतान का दावा किया-अपीलार्थी के पति द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के पति ने रुपये की वापसी के लिए अनुरोध किया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

279 ए.

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका और वही लंबित था, जिसमें कहा गया था कि पेंशन को रोकने का आदेश सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा है, और याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी-इसलिए, पत्रों को चुनौती देने वाली रिट याचिका को फिर से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया

गया था-एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एलपीए को भी खारिज कर दिया गया था-अपील पर, कहा गयाःउच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दायर रिट याचिकाओं में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया-गलत तरीके से रोकी गई/अवैध रूप से हिरासत में ली गई राशि की वापसी के लिए पहले की रिट याचिका दायर की गई थी और बाद की रिट याचिका में दिनांक (आईडी3) और (आईडी2) को चुनौती दी गई थी, जब 8 साल के बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और अपीलकर्ता के पति को (आईडी1) लाख से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था-बाद में रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पहले की रिट याचिका को खारिज करने के कारण बाद की रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की-एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, जो दरभंगा में निपटाया गया है और पेंशन प्राप्त कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है कि

बी.

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

एफ.

पकड़नाः**1.** उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने **2006** की रिट याचिका **No.13955** और **2014** की रिट याचिका संख्या **5999** में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया।वर्ष **2006** में याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से रोके गए/अवैध रूप से रोके गए रुपये की राशि वापस करने का अनुरोध किया था।जब पहले की रिट याचिका दायर की गई थी**,** तब मई**, 2005** से पेंशन शुरू होने के बाद से पेंशन का भुगतान न करने या पेंशन बंद करने का कोई मुद्दा नहीं था।**2014** की बाद की रिट याचिका संख्या **5999** तब दायर की गई थी जब **08** वर्षों के बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और ए

जी.

एच.

281

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ।

याचिकाकर्ता को रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।**2014** की रिट याचिका **No.5999** दाखिल करने के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था।एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पहले की रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, रिट याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है।**[**पैरा **15] [290-**डी-जी**]**

बी.

2. एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया दूसरा कारण कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी, भी इस न्यायालय की सराहना नहीं करता है।एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए, जो दरभंगा में बस गया है और जिला दरभंगा में पेंशन प्राप्त कर रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करना आवश्यक था, जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी। पहले की रिट याचिका का विषय पूरी तरह से अलग था और रिट याचिका को खारिज करना याचिकाकर्ता को उसी उच्च न्यायालय में बाद में रिट याचिका दायर करने से नहीं रोकता है।**[**पैरा **16] [290-**जी-एच**; 291-**ए**]**

सी.

डी.

3. वर्तमान मामले के तथ्यों से, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है।मृतक याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा में अपने बचत बैंक खाते में पिछले **08** वर्षों से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था।अपीलार्थी के दिवंगत पति की पेंशन के रुकने से वह अपने पैतृक स्थान पर प्रभावित हुआ, क्योंकि वह अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन के लाभ से वंचित था।नियोक्ता को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से उस स्थान को इंगित करने की आवश्यकता होती है जहाँ वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करेगा।अपीलार्थी के दिवंगत पति ने भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा, बिहार राज्य में अपनी पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुना था, जो उनका पैतृक स्थान था, जहाँ से वे पिछले **08** वर्षों से नियमित रूप से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, पेंशन के बंद होने से कार्रवाई का कारण बना, जो उस स्थान पर उत्पन्न हुआ जहाँ याचिकाकर्ता को लगातार पेंशन मिल रही थी।इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ का यह विचार कि रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है, पूरी तरह से गलत था और इसने याचिकाकर्ता को भारी कठिनाई का कारण बना दिया है। इसलिए, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है।**[**पैरा **29] [298-**एफ-एच**; 299-**ए-बी**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

282 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 12 एस. सी. आर.

ए.

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु

और ओआरएस। (1994) 4 एससीसी 711:[1994] 1 पूरक।एससीआर

252; नवीनचंद्र एन**.** मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य

और ओआरएस। (2000) 7 एससीसी 640:[2000] 3 पूरक।एससीआर 82;

कुंजन नायर शिवरामन नायर बनाम नारायणन नायर और

ओआरएस। (2004) 3 एससीसी 277:[2004] 2 एससीआर 202; कुसुम

बी.

इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनामभारत संघ और एएनआर। **(2004)**

6 एससीसी 254:[2004] 1 पूरक।एससीआर 841; नवल किशोर

शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य। **(2014) 9** एससीसी **329:**

[2014] 7 एससीआर **1027-**पर निर्भर।

सरयू सिंह बनाम भारत संघ और अन्य। **2015 (2)**

सी.

पी**.** एल**.** जे**.** आर**. 256-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 252** पैरा **21 [2000] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस**.** सी**.** आर**. 82** पैरा **22 [2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 202** पर निर्भर था।

डी.

पैरा **24 [2004] 1** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 841** पैरा **25 [2014] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1027** पर निर्भर था

ई.

पैरा **26** पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 3630।

एफ.

2017 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 1265 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 03.05.2018 से।अरविंद कुमार गुप्ता, ऋषि भारद्वाज, शौर्य डोगरा, अभिसुमत गुप्ता, जयंत के. सूद, अधिवक्ता जी. एस. मक्कर, श्रीकुमार सी. एन., भुवन कपूर, उदयम मुखर्जी, कृष्णायन सेन, ललित कुमार, कौस्तुभ शुक्ला, पारिजात किशोर, अभय सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

283

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2017 की लेटर्स पेटेंट अपील No.1265 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया गया है।लेटर पेटेंट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 04.08.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके द्वारा उनके दिवंगत पति द्वारा दायर 2014 की रिट याचिका No.5999 जिसमें उन्हें उनके पति की मृत्यु के बाद प्रतिस्थापित किया गया था, को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

बी.

सी.

3. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः3.1 अपीलार्थी श्री बशिष्ठ नारायण मिश्र के पति कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत थे।वह पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के बांकोला क्षेत्र में मोइरा कोलियरी में काम कर रहे थे।कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 की धारा 3 ई के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर एक पारिवारिक कोयला खान पेंशन योजना, 1998 दिनांक 05.03.1998 को

अधिसूचित किया।अपीलार्थी के दिवंगत पति ने अधिसूचना दिनांक 05.03.1998 के तहत अधिसूचित पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना।

डी.

ई.

3.2 कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को योजना में पैराग्राफ 2 ए जोड़कर संशोधित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक कर्मचारी, जिसने कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन भविष्य निधि योजना के दायरे में आता है, वह नौ महीने की अवधि के भीतर पेंशन का विकल्प चुन सकता है।दिनांक 09.01.2002 की अधिसूचना के बाद, इसे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा सभी क्षेत्रीय आयुक्तों/सहायक आयुक्तों को वितरित किया गया था।

एफ.

जी.

3.3 अपीलार्थी के पति ने दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसरण में पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत किया, जिसे प्रबंधक, मोइरा कोलियरी द्वारा वरिष्ठ कार्मिक अधिकारियों को अग्रेषित किया गया था।

एच.

बी. एन. मिश्रा के भविष्य निधि खाते से उनके पेंशन कोष में रुपये के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करते हुए 18.11.2003 दिनांकित पत्र।क्षेत्रीय आयुक्त के दिनांक 20.11.2003 के आगे के पत्र द्वारा, यह सूचित किया गया कि Rs.48,467/- की राशि को योजना, 1998 के पैरा 4 (2) के तहत समायोजित किया गया है।स्वर्गीय बी. एन. मिश्रा को 30.04.2005 पर सेवानिवृत्त होना था।पेंशन के निपटारे के लिए उनके कागजात क्षेत्रीय आयुक्त-1, कोयला खान भविष्य निधि, आसनसोल को भेजे गए थे।क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा लिखित दिनांक 30.11.2005 के पत्र द्वारा, अपीलार्थी के दिवंगत पति को पेंशन योगदान की वसूली के लिए Rs.39,198/- की राशि जमा करने के लिए कहा गया था।श्री मिश्रा को सेवानिवृत्ति के लगभग 14 महीने बाद पेंशन स्वीकृत की गई थी, जिसके बाद उन्हें मई, 2005 से पेंशन मिलने लगी।

बी.

सी.

3.4 स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा दरभंगा जिले के दरभंगा पुलिस स्टेशन के गांव भुस्कोल के मूल निवासी होने के नाते, उन्होंने बिहार राज्य के दरभंगा से पेंशन के लिए भुगतान का दावा किया था।भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा, बिहार राज्य में स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा के खाते में पेंशन की शुरुआत हुई।स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 2006 की एक रिट याचिका संख्या 13955 दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने रिट याचिकाकर्ता से गलत तरीके से रोके गए/अवैध रूप से काटे गए रुपये की वापसी के लिए अनुरोध किया था।उक्त रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर 08.02.2013 पर खारिज कर दिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकारियों और संगठनों के तहत सेवा की जो या तो पश्चिम बंगाल या झारखंड राज्यों में स्थित हैं, इसलिए, पटना उच्च न्यायालय का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।3.5 2006 की उपरोक्त रिट याचिका खारिज होने के बाद, स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा ने राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 4930 दायर की, जिसका उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका में दावा किया था।झारखंड उच्च न्यायालय में स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका का नोटिस जब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आसनसोल के कार्यालय को प्राप्त हुआ, तो ए.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

285

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

07.10.2013 अपीलार्थी के पति को उनके निवास स्थान, अर्थात गाँव भुस्कोल, पुलिस स्टेशन दरभंगा, जिला दरभंगा, बिहार राज्य में यह कहते हुए जारी किया गया था कि श्री बी. एन. मिश्रा ने 1998 की अधिसूचना के अनुसरण में शुरू में पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, वह वर्ष 2002 में पेंशन का विकल्प नहीं चुन सकते थे।यह कहा गया था कि श्री बी. एन. मिश्रा की पेंशन का क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा गलती से निपटान किया गया था, इसलिए मई, 2005 से सितंबर, 2013 तक पेंशन भुगतान के लिए रुपये की वसूली की जानी है।

बी.

3.6 क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा जारी किए गए अगले पत्र द्वारा, उन्हें रुपये की राशि और ब्याज के साथ पूरे पेंशन योगदान को वापस करने का निर्देश दिया गया था।उन्हें सूचित किया गया कि नवंबर, 2013 से मासिक पेंशन का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया है।दिनांक 07.10.2013 का पत्र प्राप्त होने के बाद, श्री बी. एन. मिश्रा ने 07.11.2013 पर एक जवाब भेजा जिसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्र-1, आसनसोल के खिलाफ उचित अधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई के कारण उत्पन्न व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण दिनांकित 07.10.2013 का पत्र जारी किया गया है।याचिकाकर्ता ने सचिव, कोयला मंत्रालय और आयोग को अभ्यावेदन भेजे।

सी.

डी.

ई.

3.7 स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 2014 की एक रिट याचिका संख्या 5999 दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने दिनांकित 07.10.2013 और 06.11.2013 पत्र को चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ पेंशन के भुगतान के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी।रिट याचिका 04.08.2017 पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के दिनांकित 08.02.2013 के पहले के आदेश पर ध्यान दिया जिसके द्वारा 2006 की उनकी पिछली रिट याचिका No.13955 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि इसी तरह के तथ्यों पर, उक्त रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है।

एफ.

जी.

एच.

न्यायालय, जो लंबित है, पेंशन को रोकने का आदेश सेवानिवृत्ति लाभ का हिस्सा है, इसलिए, रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।2017 का एक एल. पी. ए. No.1265 विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 04.08.2017 के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था।रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, श्री बी. एन. मिश्रा की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी शांति देवी को रिट याचिकाकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एल. पी. ए. डिवीजन बेंच के समक्ष दायर किया गया था, जिसे विवादित फैसले से खारिज कर दिया गया है, जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील दायर की गई है।

बी.

सी.

4. हमने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार गुप्ता, श्री श्रीकुमार सी. एन. और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 8 के लिए श्री कौस्तुभ शुक्ला को सुना है।श्री उदयम मुखर्जी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से पेश हुए।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की है।पटना के उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था।कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था।स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा से मई 2005 में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे थे। आई. डी. 1 और आई. डी. 4 की राशि की वापसी के लिए दिनांक आई. डी. 2 और आई. डी. 3 का आदेश जारी करने और नवंबर, 2013 से पेंशन पर रोक लगाने के बाद, दरभंगा में कार्रवाई का कारण सामने आया, जहां स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा रह रहे थे और पेंशन प्राप्त कर रहे थे।2006 की पिछली रिट याचिका No.13955 कार्रवाई के विभिन्न कारणों पर दायर की गई थी, जिसमें अवैध रूप से कटौती की गई राशि की वापसी के लिए पर्याप्त अनुरोध किया गया था, जबकि 2014 की रिट याचिका No.5999 कार्रवाई के पूरी तरह से अलग कारणों पर थी।स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा दरभंगा में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जिसे नवंबर, 2013 से पेंशन रोक दी गई थी, कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ और एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने पिछली रिट याचिका को खारिज करने पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज करने में गलती की, जबकि दोनों रिट याचिकाओं की कार्रवाई का कारण अलग था और 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

287

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

6. प्रत्यर्थी Nos.1 से 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा ने रिट याचिका खारिज होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जो रिट याचिका तब भी लंबित थी जब उन्होंने 2014 की रिट याचिका दायर की थी और रिट याचिका पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था।प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, हालांकि, वे प्रस्तुत करते हैं कि मंच संयोजकों के सिद्धांत पर, रिट याचिका पर पटना में विचार नहीं किया जा सकता था और रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए था।

बी.

सी.

7. प्रत्यर्थी संख्या 5 और 8 के विद्वान अधिवक्ता , श्री कौस्तुभ शुक्ला प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में सेवा की थी और बर्दवान, पश्चिम बंगाल से <आईडी1] पर सेवानिवृत्त हुए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री बी. एन. मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं कर सकते थे।अपीलार्थी के पति ने 1998 में कोयला खान पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन उन्होंने वर्ष 2002 में दूसरी बार इस योजना का विकल्प चुना।क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा की गई कटौती कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अनुसार थी।इससे पहले याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका 2006 की रिट याचिका थी जिसे पटना उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज कर दिया था और श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, उक्त निर्णय अंतिम हो गया था।श्री बी. एन. मिश्रा ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की अपनी पिछली रिट याचिका खारिज करने के बाद, जो स्पष्ट रूप से साबित करती है कि श्री बी. एन. मिश्रा ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया था और वहां अपनी रिट याचिका को आगे बढ़ाया था।केवल यह तथ्य कि दरभंगा में

07.10.2013 और 06.11.2013 दिनांकित पत्र प्राप्त हुए थे, पटना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

डी.

ई.

एफ.

8. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त प्रस्तुतियों को अपनाया।

जी.

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिन पर प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करते समय ध्यान दिया जाएगा।

एच.

10. पक्षकारसभक लेल विद्वान अधिवक्ता क प्रस्तुतिकरण आ अभिलेख पर सामग्रीसँ एहि अपीलमे निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न भेल अछिः-

(i) क्या स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 है, जो 2006 की रिट याचिका संख्या 13955 के समान है और पटना उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था?

बी.

((ii) क्या 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दाखिल करने के लिए कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ?

सी.

11. आपस में जुड़े हुए दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा है।हम सबसे पहले 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 में प्रासंगिक अभिवचनों पर ध्यान दे सकते हैं, जो रिट याचिका में राहत का दावा करने के लिए भौतिक तथ्य या अभिन्न तथ्य हैं।रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि वह आईडी 1 पर सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद बिहार राज्य के दरभंगा जिले में अपने पैतृक स्थान पर बस गए, जहां भारतीय स्टेट बैंक,

दरभंगा में उनके बचत खाते में मई, 2005 से उनकी मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।पैराग्राफ 20 और 22 में, याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्र-1, आसनसोल द्वारा जारी किए गए 07.10.2013 दिनांकित पत्र और 06.11.2013 दिनांकित पत्र के बारे में अनुरोध किया है।तैयार संदर्भ के लिए पैराग्राफ 5,20 और 22 नीचे दिए गए हैं:-

डी.

ई.

"5. कि याचिकाकर्ता को बाद में मोइरा कोलियरी, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बांकोला क्षेत्र, पी. ओ. मोइरा, जिला में कार्मिक प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था।– बर्दवान जहाँ से वे 30/04/2005 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद दरभंगा जिले में अपने पैतृक गाँव में बस गए।, बिहार में भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा के साथ उनके एस/बी ए/सी में मई, 2005 से उनकी मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

एफ.

अति-सेवानिवृत्ति के नोटिस की प्रति पत्र सं। ई. सी. एल./सी-5 (डी) अधिवर्षिता/ई. ई. 1572 दिनांक 23/24/11 2004 इसके साथ संलग्न है और इसे अनुलग्नक-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

जी.

अधिवक्ता2 अधिवक्ता0 अधिवक्ता.अधिवक्ता अधिवक्तावअधिवक्ताहअधिवक्ता
अधिवक्तावअधिवक्तिाअधिवक्तादअधिवक्ता्अधिवक्तावअधिवक्ताानअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्तांअधिवक्तादअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्तारअधिवक्ताकअधिवक्ताानअधिवक्तारअधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तारअधिवक्तिाअधिवक्ताटअधिवक्ता
अधिवक्तायअधिवक्ताानअधिवक्ताचअधिवक्तिाअधिवक्ताकअधिवक्ताानअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तीीअधिवक्ता अधिवक्ताएअधिवक्ताकअधिवक्ता
अधिवक्तापअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्तातअधिवक्तिाअधिवक्ता
अधिवक्तापअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्ताानअधिवक्तापअधिवक्ता्अधिवक्तातअधिवक्ता
अधिवक्ताहअधिवक्तोअधिवक्तानअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तापअधिवक्तारअधिवक्ता।
अधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्ता्अधिवक्ताषअधिवक्तोअधिवक्तातअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्तीीअधिव
क्तायअधिवक्ता अधिवक्तापअधिवक्तीीअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताएअधिवक्ताफअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताआअधिवक्तायअधिवक्तुअधिवक्ताकअधिवक्ता्अधिवक्तातअधिवक्ता,अधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्ता्अधिवक्ताषअधिवक्तोअधिवक्तातअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्ता-

अधिवक्ता1 अधिवक्ता,अधिवक्ता
अधिवक्ताआअधिवक्तासअधिवक्तानअधिवक्तासअधिवक्तोअधिवक्तालअधिवक्ता
अधिवक्तानअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्ताएअधिवक्ताकअधिवक्ता
अधिवक्तानअधिवक्तोअधिवक्ताटअधिवक्तिाअधिवक्तासअधिवक्ता
अधिवक्ताजअधिवक्तााअधिवक्तारअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तिाअधिवक्तायअधिवक्तााअधिवक्ता।अधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्तीअधिवक्ता.अधिवक्ता अधिवक्तापअधिवक्तीअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताएअधिवक्ताफअधिवक्ता.अधिवक्ता/अधिवक्ता3 अधिवक्ता2 अधिवक्ता/अधिवक्ताकअ
धिवक्ताअधिवक्तानअधिवक्तूअधिवक्तानअधिवक्तीअधिवक्ता/
अधिवक्ताबअधिवक्तीअधिवक्ता.अधिवक्ता अधिवक्ताएअधिवक्तानअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्तामअधिवक्तिाअधिवक्ताशअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्ताअधिवक्ता/अधिवक्ताआअधिव
क्तारअधिवक्ता-अधिवक्ता1 अधिवक्ता/अधिवक्ताएअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताएअधिवक्तासअधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताएअधिवक्तानअधिवक्ता.अधिवक्ता/अधिवक्ता3 अधिवक्ता4 अधिवक्ता8 अधिवक्ता1 अ
धिवक्ता अधिवक्तादअधिवक्तिाअधिवक्तानअधिवक्ताअधिवक्तांअधिवक्ताकअधिवक्ता
अधिवक्ता7 अधिवक्ता/अधिवक्ता1 अधिवक्ता0 अधिवक्ता/अधिवक्ता2 अधिवक्ता0 अधिवक्ता1
अधिवक्ता3 अधिवक्ता
अधिवक्ताजअधिवक्तिाअधिवक्तासअधिवक्तामअधिवक्तोअधिवक्तांअधिवक्ता
अधिवक्ताउअधिवक्तानअधिवक्ता्अधिवक्ताहअधिवक्तोअधिवक्तांअधिवक्तानअधिवक्तोअधिव
क्ता अधिवक्तामअधिवक्ताईअधिवक्ता
अधिवक्ता2 अधिवक्ता0 अधिवक्ता0 अधिवक्ता5 अधिवक्ता अधिवक्तासअधिवक्तोअधिवक्ता
अधिवक्ताआअधिवक्ताजअधिवक्ता अधिवक्तातअधिवक्ताकअधिवक्ता
अधिवक्तायअधिवक्तााअधिवक्ताचअधिवक्तिाअधिवक्ताकअधिवक्तााअधिवक्ताकअधिवक्तारअधि
वक्ता्अधिवक्तातअधिवक्तााअधिवक्ता अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता
अधिवक्तापअधिवक्तोअधिवक्तांअधिवक्ताशअधिवक्तानअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता
अधिवक्ताभअधिवक्तुअधिवक्तागअधिवक्तातअधिवक्तााअधिवक्तानअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तापअधिवक्तूअधिवक्तारअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्तातअधिवक्तारअधिवक्ताहअधिवक्ता अधिवक्तासअधिवक्तोअधिवक्ता
अधिवक्ताएअधिवक्ता.अधिवक्ता

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

कोयला खान पेंशन योजना 1998 के पैरा-15 के प्रावधानों के विरुद्ध, जिसमें कहा गया है कि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले एक नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत किया था, इसलिए सकारात्मक में विकल्प का बाद में प्रस्तुत करना योजना के खिलाफ है।इसके अलावा याचिकाकर्ता को मई 2005 से अक्टूबर 2013 तक दिए गए ब्याज के साथ पेंशन की पूरी राशि वापस करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, पेंशनभोगी को उपरोक्त नोटिस के माध्यम से यह भी सूचित किया गया था कि उसे पेंशन का भुगतान नवंबर, 2013 से बंद कर दिया जाएगा।

बी.

पत्र सं. की प्रति। सी. पी. एफ./32/कानूनी/बी. एन. मिश्रा/आर-1/ए. एस. एन./3481 दिनांक 7/10/2013 को सी. एम. पी. एस. 1998 के पैरा-15 के प्रासंगिक भाग के साथ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक-12 के रूप में चिह्नित किया गया है।

सी.

22. कि क्षेत्रीय पी. एफ. आयुक्त ने अपने द्वारा जारी किए गए नोटिस पर याचिकाकर्ता के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और इसके बजाय जल्दबाजी में पत्र सं. सी. पी. एफ./32/1 कानूनी/बी. एन. मिश्रा/आर-1/4056 दिनांक 6/11/2013 जिसमें उन्होंने नवंबर 2013 के महीने से याचिकाकर्ता को पेंशन का भुगतान बंद कर दिया और उन्हें मई 2005 से अक्टूबर 2013 तक याचिकाकर्ता को भुगतान की गई पेंशन की पूरी राशि वापस करने का भी निर्देश दिया।

डी.

पत्र सं. की प्रति। सी. पी. एफ./32/1 कानूनी/बी. एन. मिश्रा/आर-1/4056 दिनांकित 6/11/2013 इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक-14 के रूप में चिह्नित है।”

ई.

12. रिट याचिका के साथ 07.10.2013 और 06.11.2013 दिनांकित पत्रों की प्रति भी संलग्न की गई थी, जो स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा को उनके पते पर गाँव भुसाकौल, पुलिस स्टेशन दरभंगा सदर, जिला दरभंगा, बिहार राज्य में संबोधित थे।याचिकाकर्ता को 07.10.2013 दिनांकित पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद 07.11.2013 पर प्रस्तुत किया गया।दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा की पेंशन नवंबर, 2013 से रोक दी गई थी और 2014 की रिट याचिका (आई. डी. 1) पेंशन बंद होने के बाद दायर की गई थी, जो उन्हें पिछले 08 वर्षों से मिल रही थी।इसके अलावा 06.11.2013 दिनांकित पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता को रुपये की राशि वापस करने का भी निर्देश दिया गया था-जो कि मई, 2005 से भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा में अपने बैंक खाते में प्राप्त पेंशन की राशि थी।

एफ.

जी.

13. हम सबसे पहले दिनांकित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर ध्यान दे सकते हैं।

एच.

04.08.2017.फैसले का अनुच्छेद 5 रिट याचिका को खारिज करने के कारण बताता है। पैराग्राफ 5 में, रिट याचिका को खारिज करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मुख्य रूप से दो कारण दिए गए हैं; (i) सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए 2006 की रिट याचिका No.13955 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर 08.02.2013 पर खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता एल. पी. ए. या उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं गया; और (ii) जब झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की याचिका लंबित है, तो याचिकाकर्ता को पेंशन पर रोक के आदेश के खिलाफ उसी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी क्योंकि पेंशन का भुगतान भी सेवानिवृत्ति लाभों का एक हिस्सा है।

बी.

14. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एल. पी. ए. में, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैराग्राफ 4 और 5 को उद्धृत करने के बाद डिवीजन बेंच ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से कहा किः-

सी.

“हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं पाते हैं।याचिका खारिज की जाती है।”

डी.

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2006 की रिट याचिका No.13955 और 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 में तथ्यों और दलीलों पर सही ढंग से विचार नहीं किया।वर्ष 2006 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से रोके गए/अवैध रूप से रोके गए रुपये की राशि वापस करने का अनुरोध किया था।जब पहले की

रिट याचिका दायर की गई थी, तब मई, 2005 से पेंशन शुरू होने के बाद से पेंशन का भुगतान न करने या पेंशन बंद करने का कोई मुद्दा नहीं था।इसके बाद 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दायर की गई थी जब 08 वर्षों के बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया था और याचिकाकर्ता को रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था।2014 की रिट याचिका No.5999 दाखिल करने के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पिछली रिट याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, रिट याचिका को भी खारिज कर दिया जाता है।

ई.

एफ.

16. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया दूसरा कारण कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी, भी हमारी सराहना नहीं करता है।दरभंगा में बसे और जिला दरभंगा में पेंशन प्राप्त करने वाले एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करना आवश्यक था, जहां उसकी पिछली रिट याचिका लंबित थी।पहले की रिट याचिका का विषय पूरी तरह से अलग था और रिट ए को खारिज कर दिया गया था।

जी.

एच.

291

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

याचिका याचिकाकर्ता को उसी उच्च न्यायालय में बाद में रिट याचिका दायर करने से नहीं रोकती है।

17. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका के तथ्यों या अभिवचनों का विज्ञापन नहीं किया और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के पैराग्राफ 4 और 5 को उद्धृत करने के बाद ही रिट याचिकाकर्ता द्वारा एल. पी. ए. में उठाए गए किसी भी मुद्दे को स्वीकार किए बिना रिट याचिका को खारिज कर दिया।2017 के एल. पी. ए. सं. 1265 के आधारों की प्रति अनुलग्नक पी-24 के रूप में दायर की गई है, जो इंगित करता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध किया है और विशेष रूप से कहा है कि वर्ष 2013 में उत्पन्न कार्रवाई का कारण 08 साल पहले वर्ष 2006 में दायर रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता है।रिट याचिका में मुख्य दलीलों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज

कर दिया था, हमें यह विज्ञापन देने की आवश्यकता है कि क्या पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर विचार करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण था।

बी.

सी.

18. सिविल प्रक्रिया संहिता पर मुल्ला ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 पर टिप्पणी करते हुए कार्रवाई के कारण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया:-

डी.

“अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण' ने न्यायिक रूप से एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में 'कार्रवाई के कारण' का अर्थ है कार्रवाई के अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियाँ।व्यापक अर्थ में, इसका अर्थ है मुकदमे के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें न केवल अधिकार का उल्लंघन शामिल है, बल्कि अधिकार के साथ ही उल्लंघन भी शामिल है।समग्र रूप से अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रत्येक तथ्य जिसके द्वारा वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करना आवश्यक होगा।”19. पी. रामनाथ अय्यर ने एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन के तीसरे संस्करण, खंड 1 में कार्रवाई के कारण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:-

ई.

एफ.

“’कार्रवाई के कारण को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अस्तित्व एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अदालत से उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है।इस वाक्यांश को सबसे पहले से ही हर उस तथ्य को शामिल करने के लिए माना गया है जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित किया जाना चाहिए, और हर उस तथ्य को जिसे एक प्रतिवादी को पार करने का अधिकार होगा।“कार्रवाई का कारण "भी प्रतिवादी की ओर से उस विशेष कार्य के अर्थ में लिया गया है जो वादी को उसकी शिकायत का कारण देता है, या

जी.

एच.

कार्रवाई को स्थापित करने वाली शिकायत की विषय वस्तु, न कि केवल कार्रवाई का तकनीकी कारण।"

20. ब्लैक का कानून शब्दकोश निम्नलिखित शब्दों में कार्रवाई के कारण को परिभाषित करता हैः-

"अभियोजित तथ्यों का एक समूह जो मुकदमा करने के लिए एक या अधिक आधारों को जन्म देता है; एक तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अदालत में उपचार प्राप्त करने का अधिकार देती है।

बी.

21. इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 266 के संदर्भ में कार्रवाई के कारण पर विचार करने का अवसर था और उसने बड़ी संख्या में मामलों में "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति को समझाया है।हम तेल और प्राकृतिक गैस में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं।

सी.

आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु और अन्य **(1994) 4** एस**.** सी**.** सी**. 711**

जहाँ पैराग्राफ 5 और 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः- "5. अनुच्छेद 226 का खंड (1) एक अबाधित खंड से शुरू होता है-अनुच्छेद 32 में कुछ भी होने के बावजूद-और यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को "उन सभी क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है", किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें उचित मामलों में, कोई भी सरकार, उन क्षेत्रों के भीतर, भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट शामिल हैं।अनुच्छेद 226 के खंड (2) के तहत उच्च न्यायालय खंड (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उस क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था जिस पर वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, इसके बावजूद कि ऐसी सरकार या प्राधिकरण या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 के उपरोक्त दो खंडों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ था जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, भले ही सरकार या प्राधिकरण का स्थान या उस व्यक्ति का निवास, जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी किया गया है, उक्त क्षेत्रों के भीतर नहीं है।कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने के लिए, एन. आई. सी. सी. ओ. को यह दिखाना होगा कि कार्रवाई के कारण का

कम से कम एक हिस्सा उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था।रिट याचिका में यही सबसे अच्छा मामला है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

293

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

6. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ है तथ्यों का वह बंडल जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, यदि पार किया जाता है, तो उसे अदालत द्वारा अपने पक्ष में निर्णय का हकदार बनाता है।चांद कौर बनाम प्रताप सिंह [आई. एल. आर. (1889) 16 कल 98,102:15 आई. ए. 156] लॉर्ड वॉटसन ने कहाः

“... कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए जाने वाले बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के स्वरूप पर निर्भर करता है।यह पूरी तरह से शिकायत में कार्रवाई के कारण के रूप में निर्धारित आधार को संदर्भित करता है, या, दूसरे शब्दों में, मीडिया को जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।”

बी.

सी.

इसलिए, क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी की आपत्ति का निर्धारण करने में न्यायालय को कार्रवाई के कारण के समर्थन में अनुरोध किए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, भले ही उक्त तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू किए बिना।दूसरे शब्दों में यह प्रश्न कि क्या उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, का उत्तर याचिका में किए गए कथन, सच्चाई या अन्यथा जिसके महत्वहीन होने के आधार पर दिया जाना चाहिए।इसे अलग तरह से रखने के लिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सवाल का फैसला याचिका में बताए गए तथ्यों पर किया जाना चाहिए।इसलिए, यह प्रश्न कि क्या तत्काल मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय को कथित तथ्यों पर भी प्रश्नगत रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था, इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या पैराग्राफ 5,7,18,22,26 और 43 में किए गए अभिकथन यह स्थापित करने के लिए

पर्याप्त हैं कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था।”

डी.

ई.

एफ.

22. नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2000) 7 एस. सी. सी. 640 में इस न्यायालय को विचार करने का अवसर मिला था।

अनुच्छेद 226 (2) के तहत उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता।अनुच्छेद 226 (2) में किए गए संवैधानिक संशोधन से निपटने के लिए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 37 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः-

जी.

“37. अनुच्छेद में खंड **(2)** जोड़कर संशोधन का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्थान लेना था।

चुनाव आयोग बनाम साका वेंकट सुब्बा राव [ए. आई. आर. 1953]

एस. सी. 210] और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में उच्च न्यायालयों द्वारा रखे गए विचार को बहाल करना।इस प्रकार उच्च को प्रदान की गई शक्ति

एच.

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालयों का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिनके भीतर "पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है" और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित प्राधिकरण का स्थान उस उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर है।इस प्रकार इस संशोधन का उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिटों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र की चौड़ाई को बढ़ाना है।”

बी.

23. यह भी माना गया कि ऐसा लगता है कि "कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है" शब्दों का संयोजन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 से हटा लिया गया है।इस न्यायालय ने पैराग्राफ 39 में रीड बनाम ब्राउन में लॉर्ड एशर द्वारा दी गई "कार्रवाई के कारण" की परिभाषा का भी हवाला दिया।पैराग्राफ 38,39 और 41 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया था:-

सी.

“38. “कार्रवाई का कारण "एक ऐसी घटना है जिसे कानूनी भाषा में अच्छी तरह से समझा जाता है।जे. महापात्रा ने प्रसिद्ध शब्दकोशों का उल्लेख करके उक्त अभिव्यक्ति के महत्व को अच्छी तरह से चित्रित किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 से "कार्रवाई का कारण, पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है" शब्दों का संयोजन हटा लिया गया है, जो धारा अदालतों के अधिकार क्षेत्र के पहलू से भी संबंधित है।उस धारा के अनुसार मुकदमा उस अदालत में दायर किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की कानूनी सीमाओं के भीतर "पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है"। न्यायिक घोषणाओं ने संविधान के पंद्रहवें संशोधन से पहले भी उक्त समग्र अभिव्यक्ति की लगभग एक समान व्याख्या की है जिसका अर्थ है "उन तथ्यों का बंडल जो वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करने के लिए आवश्यक होंगे।"

डी.

ई.

39. रीड बनाम ब्राउन [(1888) 22 क्यू. बी. डी. 128:58 एलजेक्यूबी 120:60 एल. टी. 250 (सी. ए.)] लॉर्ड एशर, एम. आर. ने "कार्य का कारण" वाक्यांश की परिभाषा को अपनाया जिसका अर्थ था

एफ.

“प्रत्येक तथ्य जिसे वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करना आवश्यक होगा।इसमें प्रत्येक साक्ष्य नहीं है जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक तथ्य है जिसे साबित करना आवश्यक है।

जी.

41. संविधान के अनुच्छेद **226 (2)** के संदर्भ में भी इस न्यायालय ने "पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है" अभिव्यक्ति के लिए एक ही व्याख्या को अपनाया।

एच.

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

राजस्थान बनाम स्वाइका प्रॉपर्टीज [(1985) 3 एस. सी. सी. 217]।तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु [(1994) 4 एस. सी. सी. 711] मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि तथ्यों का बंडल जिसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा, अगर उसे अपने पक्ष में निर्णय देने का अधिकार दिया जाता है।"" "" "" "

“16. अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" ने न्यायिक रूप से एक निश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है।प्रतिबंधित अर्थ में कार्रवाई के कारण का अर्थ है कार्रवाई के अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियाँ।व्यापक अर्थ में, इसका अर्थ है मुकदमे के रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें न केवल अधिकार का उल्लंघन शामिल है, बल्कि इसके साथ उल्लंघन भी शामिल है।

एच.

स्वयं का अधिकार।समग्र रूप से अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रत्येक तथ्य जो वादी के लिए अदालत के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करने के लिए आवश्यक होगा।प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करने के लिए आवश्यक है, जैसा कि प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग है, "कार्रवाई के कारण" में शामिल है।

बी.

17. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण) में यह निम्नानुसार कहा गया है:

“‘कार्रवाई के कारण को केवल एक तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अस्तित्व एक व्यक्ति को अदालत से दूसरे व्यक्ति के खिलाफ उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है।इस वाक्यांश को सबसे पहले से ही हर उस तथ्य को शामिल करने के लिए माना गया है जो वादी को सफल होने का अधिकार देने के लिए साबित किया जाना चाहिए, और हर उस तथ्य को जिसे एक प्रतिवादी को पार करने का अधिकार होगा।''कार्रवाई का कारण' का अर्थ प्रतिवादी की ओर से वह विशेष कार्य भी लिया गया है जो वादी को उसकी शिकायत का कारण देता है, या कार्रवाई को स्थापित करने वाली शिकायत का विषय, न कि केवल कार्रवाई का तकनीकी कारण।”

सी.

डी.

25. एक और निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है**,** वह है कुसुम इंगोट्स।

& मिश्र धातु लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए**.** एन**.** आर**. (2004) 6** एस**.** सी**.** सी**. 254**

जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में कार्रवाई के कारण के अर्थ को दोहराया।इस न्यायालय ने दोहराया कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इस मामले में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।पैरा 18 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः-

ई.

"18. रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में एक सांठगांठ होनी चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना की जा सकती है।जिन तथ्यों का उसमें की गई प्रार्थना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें कार्रवाई के कारण को जन्म देने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा।"

एफ.

26. एक और निर्णय जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है

अपीलार्थी के लिए नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ और

जी.

ओआरएस., (2014) 9 एससीसी 329।उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें विकलांगता मुआवजे और आर्थिक नुकसान सहित विभिन्न राहतों की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने विभिन्न राहतों के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।हालाँकि, उन्हें जहाजरानी विभाग, भारत सरकार, मुंबई द्वारा जारी आदेशों द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

एच.

297

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

इस न्यायालय ने माना कि पटना उच्च न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

"17. हमने रिट याचिका में बताए गए तथ्यों और अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी ने सांस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न बीमारियों के कारण बीमारी की सूचना दी।उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। नतीजतन, उन्हें आगे के चिकित्सा उपचार के लिए छोड़ दिया गया।अंत में, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी (हृदय की मांसपेशियों की बीमारी) के कारण समुद्री सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया।नतीजतन, भारत सरकार के जहाजरानी विभाग ने नाविक के रूप में अपीलार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के लिए 12-4-

2011 पर एक आदेश जारी किया।पत्र की एक प्रति अपीलार्थी को उसके पैतृक स्थान बिहार में भेजी गई थी, जहाँ वह चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाने के बाद रह रहा था।यह आगे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने बिहार राज्य में अपने घर से प्रत्यर्थी को अक्षमता मुआवजे का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा था।उक्त अभ्यावेदन का उत्तर प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया था, जिसे बिहार के गया में उनके घर के पते पर संबोधित किया गया था, जिसमें विकलांग मुआवजे के उनके दावे को खारिज कर दिया गया था।यह आगे स्पष्ट है कि जब अपीलार्थी को हस्ताक्षरित किया गया और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया, तो वह बिहार के गया जिले में अपने घर वापस आ गया और उसके बाद, उसने सभी दावे किए और गया में अपने घर के पते से अभ्यावेदन दायर किया और उन पत्रों और अभ्यावेदनों पर प्रत्यर्थीगणओं द्वारा विचार किया गया और जवाब दिया गया और उन अभ्यावेदनों पर निर्णय बिहार में उसके घर के पते पर उसे सूचित किया गया।मान लीजिए, अपीलार्थी गंभीर हृदय की मांसपेशियों की बीमारी (डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी) और सांस लेने की समस्या से पीड़ित था, जिसके कारण उसे अपने पैतृक स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ से वह अपनी अक्षमता के मुआवजे के संबंध में सभी पत्राचार कर रहा था।इसलिए, प्रथम दृष्टया, सभी तथ्यों को एक साथ देखते हुए, पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा या अंश उत्पन्न हुआ, जहां उन्हें अक्षमता मुआवजे से अयोग्य घोषित करने का एक पत्र प्राप्त हुआ।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

27. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सरयू सिंह बनाम मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है।

भारत संघ और अन्य, 2015 (2) पी. एल. जे. आर. 256।उपरोक्त एक था

मामला जहां याचिकाकर्ता ने देय पेंशन लाभों का दावा किया था, जिसकी शिकायत थी कि उसे किया गया भुगतान कम भुगतान था।में

एच.

उपरोक्त संदर्भ में, खंड पीठ ने पैराग्राफ 63,64 और 66 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः-

“63. हाल ही में नवल किशोर शर्मा बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने (2014) 9 एस. सी. सी. 329 में बताया कि यह प्रश्न, कि कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, किसी भी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है या नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही की प्रकृति और चरित्र के आलोक में तय किया जाना चाहिए।एक रिट याचिका को बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसके द्वारा दावा किए गए कानूनी अधिकार का न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा के भीतर प्रत्यर्थीगण द्वारा उल्लंघन किया गया है।

बी.

सी.

64. कानून की स्थिति की पृष्ठभूमि में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि रिट याचिकाकर्ता, निश्चित रूप से, कोल इंडिया लिमिटेड का एक कर्मचारी था और अपने रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को एक कर्मचारी के रूप में, पटना में अपने नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन और पेंशन लाभों का भुगतान करना आवश्यक है।

डी.

66. यदि, इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को पटना में पेंशन और पेंशन लाभ के रूप में देय और देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना में देय और देय पेंशन और पेंशन लाभ प्राप्त करने के उसके अधिकार से इनकार किया जा रहा है; परिणामस्वरूप उसके अधिकार का उल्लंघन या उसे चोट लगी है।”

ई.

28. उसी उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक था, जो निर्णय हालांकि समय से पहले दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।

एफ.

29. वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि कार्रवाई का कारण पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है।मृतक याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा में अपने बचत बैंक खाते में पिछले 08 वर्षों से लगातार पेंशन प्राप्त कर रहा था।स्वर्गीय बी. एन. मिश्रा की पेंशन बंद होने से वे अपने पैतृक

स्थान पर प्रभावित हुए, क्योंकि वे अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाली पेंशन के लाभ से वंचित थे।नियोक्ता को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से उस स्थान को इंगित करने की आवश्यकता होती है जहाँ वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करेगा।स्वर्गीय श्री बी. एन. मिश्रा ने भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा, राज्य ए में अपनी पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुना था।

जी.

एच.

299

शांति देवी एलियास शांति मिश्रा बनाम भारत और हमारा संघ। [अशोक भूषण, जे।] ए.

बिहार में, जो उनका पैतृक स्थान था, जहां से वे पिछले 08 वर्षों से नियमित रूप से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे, पेंशन पर रोक ने कार्रवाई का कारण बना दिया, जो उस स्थान पर उत्पन्न हुआ जहां याचिकाकर्ता को लगातार पेंशन मिल रही थी।इस प्रकार, हमारा विचार है कि विद्वत एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ का यह विचार कि रिट याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं है, पूरी तरह से गलत था और इसने याचिकाकर्ता को भारी कठिनाई का कारण बना दिया है।

बी.

30. एक अन्य निवेदन जो प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि रिट याचिका को गैर-संयोजक मंच के सिद्धांत पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।फोरम गैर संयोजकों को पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरे संस्करण द्वारा निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:-

सी.

"यह सिद्धांत कि किसी मामले की सुनवाई उस स्थान के न्यायालय में की जानी चाहिए जहां पक्षकार, गवाह और साक्ष्य मुख्य रूप से स्थित हैं।"31. ब्लैक का कानून शब्दकोश निम्नलिखित शब्दों में मंच संयोजकों को परिभाषित करता है:-

डी.

"वह न्यायालय जिसमें पक्षकारों और गवाहों के सर्वोत्तम हितों और सुविधा पर विचार करते हुए सबसे उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।"

ई.

32. कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय ने

फोरम संयोजकों के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया।पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित कहा गया था:-

"फोरम संयोजक

30. हालाँकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है जो उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए मजबूर करता है।उचित मामलों में, न्यायालय मंच के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

एफ.

सुविधाएँ।[भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर देखें।

जी.

साहनी [ए. आई. आर. 1941 कैल 670], मदनलाल जालान बनाम मदनलाल [ए. आई. आर.

1949 कैल 495], भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम।झरिया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज (पी) लिमिटेड [1997 सी. डब्ल्यू. एन. 122], एस. एस. जैन एंड कंपनी बनाम.

भारत संघ [(1994) 1 सीएचएन 445] और न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम।भारत संघ [ए. आई. आर. 1994 डेल 126]।"

एच.

33. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करनी चाहिए थी, जहां उनकी पिछली रिट याचिका लंबित थी।इससे पहले की रिट याचिका जो शुरू में 2006 में पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, ऊपर उल्लिखित राशि की वापसी के लिए थी। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने के बाद, श्री बी. एन. मिश्रा ने राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में 2013 की एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका दावा 2006 की रिट याचिका में किया गया था।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 दाखिल करने के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग था।पेंशन बंद करना और रुपये से अधिक की वापसी की मांग करना। 08 लाख की राशि का याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो अपने पैतृक स्थान दरभंगा में रह रहा था।एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसे रिट याचिका दायर करने के लिए किसी अन्य अदालत में जाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जब उसके पास पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण हो।एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की सुविधा के लिए उस स्थान पर अपने मामले का मुकदमा चलाना है जहाँ वह था और उसे पेंशन मिल रही थी।प्रत्यर्थी Nos.1 के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण

बी.

सी.

डी.

फोरमनन कन्वीनियंस के सिद्धांत पर 3 का कोई सार नहीं है।

34. नतीजतन, हम अपील को स्वीकार करते हैं, पटना उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं और मानते हैं कि 2014 की रिट याचिका संख्या 5999 पटना उच्च न्यायालय में पूरी तरह से विचारणीय थी और एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि की।पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को पुनर्जीवित किया गया है।

ई.

35. हमारा यह भी विचार है कि अपीलार्थी अपने निर्वाह के लिए रिट याचिका में अंतरिम आदेश का हकदार है।रिट याचिका दायर करने वाले अपीलार्थी के पति की रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।उसकी मृत्यु के बाद, अपीलार्थी, विधवा को प्रतिस्थापित किया गया।रिट याचिका दायर करने के छह साल बीत चुके हैं जिसमें पेंशन पर रोक लगाने पर सवाल उठाया गया था।विधवा होने के नाते अपीलार्थी अपने निर्वाह के लिए पेंशन लाभ का भी हकदार है क्योंकि उसके पति को पेंशन मिल रही थी।हमारा विचार है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी अस्थायी पेंशन का भुगतान करने का हकदार है जो रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अधीन होगा।इसलिए हम प्रत्यर्थी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को अनंतिम पेंशन का भुगतान दिसंबर, 2020 के महीने से किया जाए, जो रिट याचिका में पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगा। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

एफ.

जी.

एच.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।